23.08.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या एक ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1986 आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत श्रीमान न्यायालय को प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना पत्र संख्या 08/2009 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 03.11.2009 को निर्णित किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने माननीय न्यायालय में सभी प्रार्थीगण को पक्षकार संख्या एक बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा सभी प्रार्थीगण को अलग–अलग नोटिस जारी नहीं कर सभी का संयुक्त रूप से एक नोटिस जारी किया गया, जो भी प्रार्थीगण को कभी भी तामिल नहीं हुआ एवं उक्त गलत तामिली को आधार मानकर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय दिनांक 03.11.2009 को पारित किया गया। यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र लम्बित रहने के दौरान ही श्री वेरीसालसिंह पुत्र श्री प्रतापदानजी जाति चारण निवासी पेशुआ का देहावसान दिनांक 16.09.2009 को हो चुका था, जिसके वारिसान को रेकर्ड पर लाने के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक ने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे उक्त निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि उक्त निर्णय पारित होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पुनः दिनांक 21.11.2011 को निर्णय पारित कर प्रार्थीगणों से वसूली करने का आदेश दिया गया तथा वसूली हेतु तहसीलदार पिण्डवाडा को अधिकृत किया गया, जिस पर तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 28.01.2015 को प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया, जिस पर प्रार्थी श्री बलवंतदान ने उपस्थित होकर नियमानुसार नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त किया, लेकिन उन्हें नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके उपरान्त प्रार्थी श्री मदनदान ने दिनांक 20.08.2015 को जिला कलक्टर सिरोही के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिससे श्रीमान जिला कलक्टर सिरोही के निर्देश पर दिनांक 21.08.2015 को तहसीलदार पिण्डवाडा ने सम्पूर्ण नकल प्रदान की, जिनका अवलोकन करने पर प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हुई एवं जानकारी होने पर बिना किसी देरीना के 30 दिन के अन्दर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाकर पूर्व में दर्ज प्रार्थना पत्र संख्या 08/2009 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2009 को अपास्त करना फरमावें तथा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश प्रदान करावें।

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व 151 सी.पी. सी. अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रार्थना पंत्र की अवधि टाईम बार्ड हो चुकी है एवं प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है और अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किए जाने का कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। यह कि उक्त आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत प्रावधान है कि किसी भी वाद में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने की स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, जो निश्चित म्याद अवधि में पेश किया जाता है न कि अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया जाता है। यह कि प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही को निर्णय दिनांक 03.11. 2009 को पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अत्यधिक देरी लगभग 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद दिनांक 24.08.2015 को पेश किया गयाहै तथा विपक्षीगण को सम्मन दिनांक 04.10.2021 को तामिल हुआ है। अतः आदेश के लगभग 12 वर्ष बाद पुनः एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाना विधि से परे होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बेरून म्याद होने से खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि पूर्व में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 08/2009 अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1986 सपठित आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 08/2009 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 03.11.2009 को निर्णय पारित किया गया। प्रार्थना पत्र संख्या 08/2009 की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक ने सभी प्रार्थीगण को पक्षकार संख्या एक बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिससे इस न्यायालय द्वारा सभी प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से एक ही नोटिस जारी किया गया, जो सभी प्रार्थीगणों को तामिल नहीं हुआ था एवं उक्त प्रार्थना पत्र लम्बित रहते हुए प्रार्थी श्री वेरीसालसिंह पुत्र श्री प्रतापदानजी जाति चारण निवासी पेशुआ का देहावसान दिनांक 16.09.2009 को हो चुका था, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या एक ने इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की एवं इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 08/2009 पर एक पक्षीय कार्येवाही करते हुए दिनांक 03.11.2009 को निर्णय पारित कर दिया। जहां तक अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. को अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किए जाने का कथन है, इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

से यह पाया जाता है कि मूल प्रकरण संख्या 08/2009 में प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, जिससे प्रार्थीगण को इस प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2009 की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसूली की कार्यवाही किए जाने पर हुई थी। अतः प्रार्थीगण पर नरमाई का रूख अपनाते हुए उनके द्वारा इस प्रार्थना पत्र को देरी से प्रस्तुत किए जाने की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 08/2009 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किए जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner